# केप वर्डे का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन

## केवल हिंदी भाषा में

**ISBN NO: - 978-81-997398-5-7**

**AUTHOR NAME: -**

**MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR**

**Advocate, Bombay High Court**

1. **BOOK TITLE : केप वर्डे का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन केवल हिंदी भाषा में**

2. **LANGUAGE:** HINDI
3. **ISBN: 978-81-997398-5-7**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR:** MR. GANESH SHRIRANG SATARKAR (NALE)
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN CHARTERED EXPORT COMPANY.** – SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   **MOBILE:** +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹5/- ( **Printed and Published in India )**

---

**COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT**

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
**Disclaimer:**
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

# केप वर्डे का संविधान

**प्रस्तावना (Preamble)**

- राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा
- लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना
- मानव गरिमा, मौलिक अधिकार, बहुदलीय लोकतंत्र
- शक्तियों का संतुलन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक संरक्षण

**भाग I : मौलिक सिद्धांत (PART I – Fundamental Principles)**

**शीर्षक I : गणराज्य (TITLE I – The Republic)**

- अनुच्छेद 1 : केप वर्डे गणराज्य
- अनुच्छेद 2 : लोकतांत्रिक विधि राज्य
- अनुच्छेद 3 : संप्रभुता और संवैधानिकता
- अनुच्छेद 4 : राजनीतिक शक्ति का प्रयोग
- अनुच्छेद 5 : नागरिकता
- अनुच्छेद 6 : राज्य क्षेत्र
- अनुच्छेद 7 : राज्य के कर्तव्य
- अनुच्छेद 8 : राष्ट्रीय प्रतीक
- अनुच्छेद 9 : राजधानी

**शीर्षक II : अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय कानून**

- अनुच्छेद 10 : अंतरराष्ट्रीय संबंध
- अनुच्छेद 11 : संधियों की आंतरिक मान्यता
- अनुच्छेद 12 : अंतरराष्ट्रीय संधियों से जुड़ना/अलग होना
- अनुच्छेद 13 : सरल अंतरराष्ट्रीय समझौते

**भाग II : नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य**

(PART II – Rights and Duties of Citizens)

**शीर्षक I : सामान्य सिद्धांत**

- अनुच्छेद 14 : अधिकारों की अविभाज्यता

- अनुच्छेद 15 : सार्वजनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी
- अनुच्छेद 16 : अधिकारों का अर्थ और विस्तार
- अनुच्छेद 17 : विधिक प्रवर्तन
- अनुच्छेद 18 : प्रतिरोध का अधिकार
- अनुच्छेद 19 : अधिकारों का संरक्षण
- अनुच्छेद 20 : न्यायालयों तक पहुंच
- अनुच्छेद 21 : सार्वभौमिकता का सिद्धांत
- अनुच्छेद 22 : समानता का सिद्धांत
- अनुच्छेद 23 : विदेशी नागरिक
- अनुच्छेद 24 : अधिकारों का विनियमन
- अनुच्छेद 25 : अधिकारों का निलंबन

**शीर्षक II : अधिकार, स्वतंत्रताएं और गारंटी**

**अध्याय I : व्यक्तिगत अधिकार**

- अनुच्छेद 26 : जीवन का अधिकार
- अनुच्छेद 27 : स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 28 : व्यक्तिगत सुरक्षा
- अनुच्छेद 29 : निवारक निरुद्धीकरण
- अनुच्छेद 30 : दंड कानून का प्रयोग
- अनुच्छेद 31 : आजीवन कारावास निषेध
- अनुच्छेद 32 : दंड के प्रभाव
- अनुच्छेद 33 : आपराधिक प्रक्रिया
- अनुच्छेद 34 : बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- अनुच्छेद 35 : प्रत्यर्पण और निष्कासन
- अनुच्छेद 36 : शरण का अधिकार
- अनुच्छेद 37 : राष्ट्रीयता
- अनुच्छेद 38 : पहचान और प्रतिष्ठा
- अनुच्छेद 39 : पेशा और सार्वजनिक पद
- अनुच्छेद 40 : आवास की अविच्छेद्यता

- अनुच्छेद 41 : पत्राचार और संचार गोपनीयता
- अनुच्छेद 42 : कंप्यूटर डाटा संरक्षण
- अनुच्छेद 43 : डाटा तक पहुंच
- अनुच्छेद 44 : विवाह और संतान
- अनुच्छेद 45 : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 46 : प्रेस की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 47 : प्रसारण और प्रत्युत्तर का अधिकार
- अनुच्छेद 48 : धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 49 : शिक्षा की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 50 : देश छोड़ने का अधिकार
- अनुच्छेद 51 : संघ बनाने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 52 : सभा और प्रदर्शन
- अनुच्छेद 53 : बौद्धिक एवं सांस्कृतिक सृजन

**अध्याय II : राजनीतिक भागीदारी के अधिकार**

- अनुच्छेद 54 : सार्वजनिक जीवन में भागीदारी
- अनुच्छेद 55 : सार्वजनिक पद पाने का अधिकार
- अनुच्छेद 56 : राजनीतिक दल
- अनुच्छेद 57 : याचिका और शिकायत

**अध्याय III : श्रमिकों के अधिकार**

- अनुच्छेद 58 : कार्य और सामाजिक सुरक्षा
- अनुच्छेद 59 : रोजगार सुरक्षा
- अनुच्छेद 60 : न्यूनतम वेतन
- अनुच्छेद 61 : श्रमिक संघ
- अनुच्छेद 62 : संघ की सदस्यता की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 63 : संघों के अधिकार
- अनुच्छेद 64 : हड़ताल का अधिकार

## भाग III : आर्थिक, वित्तीय और राजकोषीय संगठन

### शीर्षक I : आर्थिक प्रणाली

- अनुच्छेद 88 : सामान्य सिद्धांत
- अनुच्छेद 89 : विदेशी निवेश
- अनुच्छेद 90 : आर्थिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व
- अनुच्छेद 91 : सार्वजनिक क्षेत्र
- अनुच्छेद 92 : निजी क्षेत्र
- अनुच्छेद 93 : सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्र
- अनुच्छेद 94 : राष्ट्रीयकरण और निजीकरण
- अनुच्छेद 95 : आर्थिक योजना

### शीर्षक II : वित्तीय एवं कर प्रणाली

(Financial and Fiscal System)

- अनुच्छेद 96 : सार्वजनिक वित्त
- अनुच्छेद 97 : राज्य का बजट
- अनुच्छेद 98 : बजट की तैयारी
- अनुच्छेद 99 : बजट की स्वीकृति
- अनुच्छेद 100 : बजट का कार्यान्वयन
- अनुच्छेद 101 : सार्वजनिक व्यय
- अनुच्छेद 102 : कर प्रणाली
- अनुच्छेद 103 : कर लगाने के सिद्धांत
- अनुच्छेद 104 : सार्वजनिक ऋण
- अनुच्छेद 105 : राज्य संपत्ति

## भाग IV : राजनीतिक शक्ति का प्रयोग

(PART IV – Exercise of Political Power)

### शीर्षक I : राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के रूप

- अनुच्छेद 106 : संप्रभुता का प्रयोग
- अनुच्छेद 107 : राजनीतिक भागीदारी
- अनुच्छेद 108 : जनमत संग्रह

## भाग V : राजनीतिक शक्ति का संगठन

(PART V – Organization of Political Power)

### शीर्षक I : सामान्य सिद्धांत

- अनुच्छेद 109 : राज्य अंग
- अनुच्छेद 110 : शक्तियों का पृथक्करण

### शीर्षक II : गणराज्य के राष्ट्रपति

- अनुच्छेद 111 : राष्ट्रपति की स्थिति
- अनुच्छेद 112 : राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 113 : कार्यकाल
- अनुच्छेद 114 : राष्ट्रपति की शक्तियाँ
- अनुच्छेद 115 : राष्ट्रपति की जिम्मेदारी

### शीर्षक III : राष्ट्रीय सभा (Parliament)

- अनुच्छेद 116 : राष्ट्रीय सभा की संरचना
- अनुच्छेद 117 : विधायी शक्तियाँ
- अनुच्छेद 118 : सदस्यों का निर्वाचन
- अनुच्छेद 119 : कार्यकाल
- अनुच्छेद 120 : आंतरिक कार्यप्रणाली

### शीर्षक IV : सरकार

- अनुच्छेद 121 : सरकार की संरचना
- अनुच्छेद 122 : प्रधानमंत्री
- अनुच्छेद 123 : मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 124 : सरकार की जिम्मेदारी

### शीर्षक V : न्यायिक शक्ति

- अनुच्छेद 125 : न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 126 : न्यायालय प्रणाली
- अनुच्छेद 127 : सर्वोच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 128 : न्यायाधीश

**शीर्षक VI : स्थानीय शासन**

- अनुच्छेद 129 : स्थानीय स्वशासन
- अनुच्छेद 130 : नगरपालिका

**शीर्षक VII : लोक प्रशासन**

- अनुच्छेद 131 : प्रशासनिक सिद्धांत
- अनुच्छेद 132 : लोक सेवक

**शीर्षक VIII : राष्ट्रीय रक्षा**

- अनुच्छेद 133 : सशस्त्र बल
- अनुच्छेद 134 : रक्षा नीति

**शीर्षक IX : सहायक निकाय**

- अनुच्छेद 135 : संवैधानिक निकाय

**शीर्षक X : कानूनों का रूप और श्रेणी**

- अनुच्छेद 136 : कानूनों का पदानुक्रम

**भाग VI : संविधान की रक्षा और संशोधन**

(PART VI – Guarantees of the Constitution)

**शीर्षक I : आपातकाल**

- अनुच्छेद 137 : मार्शल लॉ
- अनुच्छेद 138 : आपात स्थिति

**शीर्षक II : संवैधानिकता की समीक्षा**

- अनुच्छेद 139 : संवैधानिक न्याय

**शीर्षक III : संविधान संशोधन**

- अनुच्छेद 140 : संशोधन की प्रक्रिया

**शीर्षक III : सरकार (The Government)**

- अनुच्छेद 141 : सरकार की भूमिका
- अनुच्छेद 142 : सरकार की संरचना
- अनुच्छेद 143 : प्रधानमंत्री
- अनुच्छेद 144 : मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 145 : मंत्रियों की नियुक्ति

- अनुच्छेद 146 : सरकार की शक्तियाँ
- अनुच्छेद 147 : सरकार की राजनीतिक जिम्मेदारी
- अनुच्छेद 148 : सरकार का कार्यकाल
- अनुच्छेद 149 : विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव

**शीर्षक IV : न्यायिक शक्ति (Judicial Power)**

- अनुच्छेद 150 : न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 151 : न्यायालयों की भूमिका
- अनुच्छेद 152 : सर्वोच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 153 : सर्वोच्च न्यायालय की संरचना
- अनुच्छेद 154 : न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 155 : न्यायाधीशों की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 156 : न्यायिक परिषद
- अनुच्छेद 157 : अभियोजन सेवा

**शीर्षक V : स्थानीय शासन (Local Power)**

- अनुच्छेद 158 : स्थानीय स्वशासन
- अनुच्छेद 159 : नगरपालिका
- अनुच्छेद 160 : स्थानीय निकायों की स्वायत्तता
- अनुच्छेद 161 : स्थानीय चुनाव
- अनुच्छेद 162 : स्थानीय प्रशासन

**शीर्षक VI : लोक प्रशासन (Public Administration)**

- अनुच्छेद 163 : लोक प्रशासन के सिद्धांत
- अनुच्छेद 164 : लोक सेवक
- अनुच्छेद 165 : प्रशासनिक उत्तरदायित्व
- अनुच्छेद 166 : प्रशासनिक अनुशासन

**शीर्षक VII : राष्ट्रीय रक्षा (National Defense)**

- अनुच्छेद 167 : राष्ट्रीय रक्षा नीति
- अनुच्छेद 168 : सशस्त्र बल
- अनुच्छेद 169 : सशस्त्र बलों का दायित्व
- अनुच्छेद 170 : नागरिक नियंत्रण

**शीर्षक VIII : सहायक संवैधानिक निकाय**

(Auxiliary Bodies)

- अनुच्छेद 171 : राज्य परिषद
- अनुच्छेद 172 : लेखा न्यायालय
- अनुच्छेद 173 : लोकपाल समान निकाय

**शीर्षक IX : कानूनों का रूप और श्रेणी**

(Form and Hierarchy of Laws)

- अनुच्छेद 174 : संवैधानिक कानून
- अनुच्छेद 175 : साधारण कानून
- अनुच्छेद 176 : विधायी आदेश
- अनुच्छेद 177 : नियम और विनियम

**भाग VI : संविधान की रक्षा और संशोधन**

(Guarantees of Defense and Revision of the Constitution)

**शीर्षक I : मार्शल लॉ और आपात स्थिति**

- अनुच्छेद 178 : मार्शल लॉ
- अनुच्छेद 179 : आपातकाल की घोषणा
- अनुच्छेद 180 : अधिकारों का निलंबन

**शीर्षक II : संवैधानिकता की समीक्षा**

- अनुच्छेद 181 : संवैधानिक नियंत्रण
- अनुच्छेद 182 : असंवैधानिकता की घोषणा

**शीर्षक III : संविधान संशोधन**

- अनुच्छेद 183 : संशोधन की पहल
- अनुच्छेद 184 : संशोधन की प्रक्रिया

- अनुच्छेद 185 : संशोधन की सीमाएँ

## भाग VII : अंतिम और अस्थायी प्रावधान

(Final and Transitional Provisions)

- अनुच्छेद 186 : संवैधानिक संक्रमण
- अनुच्छेद 187 : पूर्ववर्ती कानूनों की मान्यता
- अनुच्छेद 188 : संस्थागत निरंतरता
- अनुच्छेद 189 : प्रशासनिक समायोजन
- अनुच्छेद 190 : न्यायिक संक्रमण
- अनुच्छेद 191 : निर्वाचन संबंधी प्रावधान
- अनुच्छेद 192 : पदधारकों की स्थिति
- अनुच्छेद 193 : अंतरिम व्यवस्थाएँ

## अनुच्छेद 195–322 : अंतिम एवं संक्रमणकालीन प्रावधान

(Final and Transitional Provisions)

### संक्रमणकालीन एवं संस्थागत प्रावधान

- **अनुच्छेद 195** : संवैधानिक संक्रमण की निरंतरता
- **अनुच्छेद 196** : पूर्ववर्ती संस्थाओं की वैधता
- **अनुच्छेद 197** : प्रशासनिक संरचनाओं की निरंतरता
- **अनुच्छेद 198** : सरकारी कार्यों की वैधता
- **अनुच्छेद 199** : पूर्ववर्ती विधानों का प्रवर्तन
- **अनुच्छेद 200** : अंतरिम कानूनी व्यवस्थाएँ
- **अनुच्छेद 201** : न्यायिक संस्थाओं की निरंतरता
- **अनुच्छेद 202** : लंबित मामलों का निपटान
- **अनुच्छेद 203** : न्यायिक अधिकारियों की स्थिति
- **अनुच्छेद 204** : लोक सेवकों की सेवा-शर्तें
- **अनुच्छेद 205** : सैन्य एवं सुरक्षा बलों की स्थिति
- **अनुच्छेद 206** : अंतरिम प्रशासनिक उपाय

## निर्वाचन एवं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित

- **अनुच्छेद** 207 : निर्वाचन कानूनों की निरंतरता
- **अनुच्छेद** 208 : पूर्व निर्वाचित निकाय
- **अनुच्छेद** 209 : नए संवैधानिक निकायों की स्थापना
- **अनुच्छेद** 210 : राजनीतिक पदों की वैधता
- **अनुच्छेद** 211 : संसद के संक्रमणकालीन कार्य
- **अनुच्छेद** 212 : राष्ट्रपति पद से संबंधित अंतरिम प्रावधान

## वित्तीय, प्रशासनिक एवं विविध प्रावधान

- **अनुच्छेद** 213 : सार्वजनिक वित्त की निरंतरता
- **अनुच्छेद** 214 : बजटीय प्रावधानों का संक्रमण
- **अनुच्छेद** 215 : सार्वजनिक संपत्ति
- **अनुच्छेद** 216 : राज्य देनदारियाँ
- **अनुच्छेद** 217 : अंतरराष्ट्रीय संधियों की वैधता
- **अनुच्छेद** 218 : प्रशासनिक नियम
- **अनुच्छेद** 219 : लोक प्रशासन में समायोजन
- **अनुच्छेद** 220 : विविध संक्रमणकालीन उपाय

## न्यायिक एवं संवैधानिक परिषद संबंधी

- **अनुच्छेद** 221 : उच्च न्यायिक परिषद
- **अनुच्छेद** 222 : परिषद की संरचना
- **अनुच्छेद** 223 : न्यायाधीशों की नियुक्ति
- **अनुच्छेद** 224 : न्यायिक कार्यवाही की निरंतरता
- **अनुच्छेद** 225 : संवैधानिक नियंत्रण के उपाय

## विविध एवं संक्रमणकालीन प्रावधान

- **अनुच्छेद** 226 : संवैधानिक प्रावधानों का संक्रमण
- **अनुच्छेद** 227 : पूर्ववर्ती कानूनों की अस्थायी वैधता
- **अनुच्छेद** 228 : प्रशासनिक संरचनाओं की निरंतरता
- **अनुच्छेद** 229 : सार्वजनिक सेवाओं का समायोजन

- **अनुच्छेद 230** : सरकारी निर्णयों की वैधता
- **अनुच्छेद 231** : लंबित प्रशासनिक कार्य
- **अनुच्छेद 232** : न्यायिक मामलों की निरंतरता
- **अनुच्छेद 233** : न्यायिक अधिकारियों की स्थिति
- **अनुच्छेद 234** : लोक सेवकों की सेवा-शर्तें
- **अनुच्छेद 235** : सैन्य एवं सुरक्षा सेवाएँ
- **अनुच्छेद 236** : अंतरिम प्रशासनिक उपाय

**राजनीतिक एवं संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित**

- **अनुच्छेद 237** : संवैधानिक निकायों की निरंतरता
- **अनुच्छेद 238** : पूर्व गठित निकायों की वैधता
- **अनुच्छेद 239** : नए संवैधानिक अंगों की स्थापना
- **अनुच्छेद 240** : संसद (राष्ट्रीय सभा) से संबंधित संक्रमण
- **अनुच्छेद 241** : राष्ट्रपति पद से संबंधित अंतरिम प्रावधान
- **अनुच्छेद 242** : सरकार के कार्यों की निरंतरता

**वित्तीय, बजटीय एवं संपत्ति संबंधी**

- **अनुच्छेद 243** : सार्वजनिक वित्त की निरंतरता
- **अनुच्छेद 244** : बजटीय व्यवस्था का संक्रमण
- **अनुच्छेद 245** : राज्य की संपत्ति
- **अनुच्छेद 246** : राज्य की देनदारियाँ
- **अनुच्छेद 247** : कर एवं राजस्व प्रावधान
- **अनुच्छेद 248** : आर्थिक दायित्वों की वैधता

**न्यायिक परिषद एवं संवैधानिक नियंत्रण**

- **अनुच्छेद 249** : उच्च न्यायिक परिषद का संक्रमण
- **अनुच्छेद 250** : परिषद की संरचना
- **अनुच्छेद 251** : न्यायाधीशों की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 252** : न्यायिक कार्यवाही की निरंतरता

- **अनुच्छेद 253** : संवैधानिक नियंत्रण के अंतरिम उपाय

## अनुच्छेद 254–322 : विविध, अंतिम एवं संक्रमणकालीन प्रावधान

(Final and Transitional Provisions)

### विविध एवं पूरक संक्रमणकालीन प्रावधान

- **अनुच्छेद 254** : संवैधानिक अनुकूलन के उपाय
- **अनुच्छेद 255** : पूर्ववर्ती कानूनी स्थितियों की निरंतरता
- **अनुच्छेद 256** : प्रशासनिक ढांचे का समायोजन
- **अनुच्छेद 257** : सरकारी निर्णयों की वैधता
- **अनुच्छेद 258** : लंबित प्रशासनिक मामलों का निपटान
- **अनुच्छेद 259** : न्यायिक मामलों की निरंतरता
- **अनुच्छेद 260** : न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों की स्थिति
- **अनुच्छेद 261** : लोक सेवकों की सेवा-शर्तें
- **अनुच्छेद 262** : सैन्य एवं सुरक्षा सेवाओं की स्थिति
- **अनुच्छेद 263** : अंतरिम प्रशासनिक प्रबंध

### संवैधानिक एवं राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित

- **अनुच्छेद 264** : संवैधानिक निकायों की निरंतरता
- **अनुच्छेद 265** : पूर्व गठित संस्थाओं की वैधता
- **अनुच्छेद 266** : नए संवैधानिक अंगों का समायोजन
- **अनुच्छेद 267** : राष्ट्रीय सभा से संबंधित संक्रमण
- **अनुच्छेद 268** : राष्ट्रपति पद से जुड़े अंतरिम प्रावधान
- **अनुच्छेद 269** : सरकार के कार्यों की निरंतरता

### वित्तीय, संपत्ति एवं दायित्व संबंधी

- **अनुच्छेद 270** : सार्वजनिक वित्त की निरंतरता
- **अनुच्छेद 271** : बजटीय व्यवस्थाओं का संक्रमण
- **अनुच्छेद 272** : राज्य संपत्ति का संरक्षण
- **अनुच्छेद 273** : राज्य की देनदारियाँ

- **अनुच्छेद** **274** : कर एवं राजस्व संबंधी प्रावधान
- **अनुच्छेद** **275** : आर्थिक दायित्वों की वैधता

**न्यायिक परिषद एवं संवैधानिक नियंत्रण**

- **अनुच्छेद** **276** : उच्च न्यायिक परिषद का संक्रमण
- **अनुच्छेद** **277** : परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान
- **अनुच्छेद** **278** : न्यायाधीशों की नियुक्ति की निरंतरता
- **अनुच्छेद** **279** : न्यायिक कार्यवाही की वैधता
- **अनुच्छेद** **280** : संवैधानिक नियंत्रण के अंतरिम उपाय

**विविध एवं पूरक संक्रमणकालीन प्रावधान**

- **अनुच्छेद** **281** : संवैधानिक प्रावधानों का अनुप्रयोग
- **अनुच्छेद** **282** : पूर्ववर्ती कानूनों का अस्थायी प्रवर्तन
- **अनुच्छेद** **283** : प्रशासनिक संस्थाओं की निरंतरता
- **अनुच्छेद** **284** : सार्वजनिक सेवाओं का समायोजन
- **अनुच्छेद** **285** : सरकारी कृत्यों की वैधता
- **अनुच्छेद** **286** : लंबित प्रशासनिक मामलों का निपटान
- **अनुच्छेद** **287** : लंबित न्यायिक मामलों की निरंतरता
- **अनुच्छेद** **288** : न्यायिक अधिकारियों की स्थिति
- **अनुच्छेद** **289** : लोक सेवकों की सेवा-शर्तें
- **अनुच्छेद** **290** : सैन्य एवं सुरक्षा बलों की स्थिति
- **अनुच्छेद** **291** : अंतरिम प्रशासनिक प्रबंध

**संवैधानिक एवं संस्थागत प्रावधान**

- **अनुच्छेद** **292** : संवैधानिक निकायों की निरंतरता
- **अनुच्छेद** **293** : पूर्व गठित संस्थाओं की वैधता
- **अनुच्छेद** **294** : नए संवैधानिक अंगों का कार्यारंभ
- **अनुच्छेद** **295** : राष्ट्रीय सभा से संबंधित संक्रमण
- **अनुच्छेद** **296** : राष्ट्रपति पद से जुड़े अंतरिम प्रावधान
- **अनुच्छेद** **297** : सरकार के कार्यों की निरंतरता

## वित्तीय, संपत्ति एवं दायित्व संबंधी प्रावधान

- **अनुच्छेद 298** : सार्वजनिक वित्त की निरंतरता
- **अनुच्छेद 299** : बजटीय व्यवस्थाओं का संक्रमण
- **अनुच्छेद 300** : राज्य संपत्ति का संरक्षण
- **अनुच्छेद 301** : राज्य की देनदारियाँ
- **अनुच्छेद 302** : कर एवं राजस्व संबंधी व्यवस्थाएँ
- **अनुच्छेद 303** : आर्थिक दायित्वों की वैधता

## न्यायिक परिषद एवं संवैधानिक नियंत्रण

- **अनुच्छेद 304** : उच्च न्यायिक परिषद से संबंधित संक्रमण
- **अनुच्छेद 305** : परिषद की संरचना (अंतरिम)
- **अनुच्छेद 306** : न्यायाधीशों की नियुक्ति की निरंतरता
- **अनुच्छेद 307** : न्यायिक कार्यवाहियों की वैधता
- **अनुच्छेद 308** : संवैधानिक नियंत्रण के अंतरिम उपाय

## विविध संक्रमणकालीन प्रावधान

- **अनुच्छेद 309** : संवैधानिक प्रावधानों का समायोजन
- **अनुच्छेद 310** : प्रशासनिक एवं संस्थागत निरंतरता
- **अनुच्छेद 311** : सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अंतरिम व्यवस्था
- **अनुच्छेद 312** : लंबित मामलों की वैधता
- **अनुच्छेद 313** : संक्रमणकालीन कानूनी उपाय
- **अनुच्छेद 314** : पूर्ववर्ती संवैधानिक स्थितियों की मान्यता
- **अनुच्छेद 315** : अंतिम संक्रमणकालीन उपबंध

## अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 316** : पद पर बने रहने की व्यवस्था (Maintenance of Office)
- **अनुच्छेद 317** : पूर्ववर्ती विधान की निरंतरता
- **अनुच्छेद 318** : राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक निकायों के पदाधिकारियों की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 319** : राष्ट्रीय सभा द्वारा राजनीतिक/सार्वजनिक निकायों में नियुक्तियाँ

- **अनुच्छेद 320** : उच्च न्यायिक परिषद के लिए न्यायाधीशों का निर्वाचन
- **अनुच्छेद 321** : उच्च न्यायिक परिषद की बैठक
- **अनुच्छेद 322** : पद से कार्यमुक्ति (Cessation of Duties)